उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
3- नवल किशोर रोड, लखनऊ।

पत्रांक-   /मार्केटिंग-10-44/2001:   दिनांक 24 नवम्बर, 2001

समस्त प्रबन्धक/प्रभारी,
पर्यटक आवास गृह/होटल/मोटेल/कैफेटेरिया

सचिव, यूथ हास्टल एशोसिएशन आफ इण्डिया शान-ए-अवध यूनिट, लखनऊ द्वारा अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनकी संस्था के सदस्यों को निगम की इकाईयों में रियायती दरों पर आवास एवं खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

अतः उपरोक्त संबंध में पत्रद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि यूथ हास्टल एशोसिएशन आफ इण्डिया के सदस्यों को निगम की इकाई में आवास की सुविधा का उपयोग किये जाने की दशा में टैरिफ पर 20 प्रतिशत की छूट तथा रेस्टोरेन्ट की सुविधा पर 10 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाये। मैसर्स यूथ हास्टल एशोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा अपने सदस्यों को प्रदत्त परिचय-पत्र/अधिकार प्रमाण-पत्र को इकाई पर दर्शाये जाने की दशा में ही संस्था के सदस्यों को उक्तानुसार छूट अनुमन्य होगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि छूट देने हेतु प्रबन्धकों/प्रभारियों को पूर्व में दिये गये अधिकार के अन्तर्गत ही उक्त छूट प्रदान की जायेगी।

यह आदेश प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये गये जा रहे हैं, जो तत्काल प्रभावी होंगे।

(बादल चटर्जी)
अधिशासी निदेशक

प्र0प0संख्या-3592/मार्केटिंग-10-44/2001::समदिनांकित।

प्रतिलिपि- श्री राजेश कुमार वर्मा, सचिव, यूथ हास्टल एशोसिएशन आफ इण्डिया 531/69, बड़ा चांदगंज, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-वाई0एच0ए0आई0/शान-ए-अवध यूनिट, लखनऊ /220, दिनांक 01-11-2001 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बादल चटर्जी)
अधिशासी निदेशक